इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 629] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 20 दिसम्बर 2022—अग्रहायण 29, शक 1944

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 20 दिसम्बर 2022

क्र. 20483-मप्रविस-15/विधान/2022.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम-64 के उपबंधों के पालन में मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 21 सन् 2022) जो विधान सभा में दिनांक 20 दिसम्बर, 2022 को पुर:स्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

(ए. पी. सिंह)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २१ सन् २०२२

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (द्वितीय संशोधन) विधेयक, २०२२

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम. १. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०२२ है.

धारा १२९ का संशोधन. २. मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९ (क्रमांक २० सन् १९५९) की धारा १२९ में, उपधारा (१), उपधारा (२) तथा उपधारा (३) में, शब्द ''राजस्व निरीक्षक'' के पश्चात्, शब्द ''या पटवारी'' अन्तःस्थापित किए जाएं.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९ (क्रमांक २० सन् १९५९) की धारा १२९ के उपबंधों के अनुसार सीमांकन के मामलों के निराकरण के लिए तहसीलदार द्वारा, यथास्थिति, राजस्व निरीक्षक या नगर सर्वेक्षक को प्रतिनियुक्त किया जाता है. ऐसे मामलों के त्वरित निराकरण के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि यथोचित संशोधन द्वारा धारा १२९ में राजस्व निरीक्षक या नगर सर्वेक्षक के साथ पटवारी को जोड़ा जाए.

२. अतएव यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपालः
तारीख १५ दिसम्बर, २०२२.

गोविन्द सिंह राजपूत
भारसाधक सदस्य.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2022.